रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 8—सितम्बर 14, 2013, शनिवार/भाद्र 17—भाद्र 23, 1935

No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 8—SEPTEMBER 14, 2013, SATURDAY/BHADRA 17—BHADRA 23, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 222.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजभाषा विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1996, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधीनस्थ कार्यालयों में अर्थात् गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और संसदीय राजभाषा समिति में स्टाफ कार ड्राइवर के सम्मिलित काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और संसदीय राजभाषा समिति में स्टाफ कार ड्राइवर के सम्मिलित काडर भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I	*02 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) की श्रेणियों में तेरह वर्ष सम्मिलित सेवा की है, जिनके पास—

12
(क) इस प्रयोजन के लिए संचालित व्यावसायिक परीक्षण जिसका पाठ्य विवरण निम्नानुसार होगा:— (i) अंग्रेजी के संख्यांकों को पढ़ने और आकृतियों को पहचानने के योग्य हो; (ii) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान हो; (iii) खराबियों का पता लगाने और चलता-फिरता छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य हो; (iv) टायरों पर ठीक-ठीक हवा भरने और उसे बदलने के योग्य हो; और (ख) उपरोक्त (i) से (iv) पर आधारित व्यावहारिक परीक्षण। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान — अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन) संसदीय राजभाषा समिति — सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो — सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	*1 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1 5200 - 20200 रु॰ + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की है, जिसके पास— (क) इस प्रयोजन के लिए संचालित व्यावसायिक परीक्षण जिसका पाठ्य विवरण निम्नानुसार होगा: (i) अंग्रेजी के संख्यांकों को पढ़ने और आकृतियों को पहचानने के योग्य हो; (ii) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान हो; (iii) खराबियों का पता लगाने और चलता-फिरता छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य हो; (iv) टायरों पर ठीक-ठीक हवा भरने और उसे बदलने के योग्य हो; और (ख) उपरोक्त (i) से (iv) पर आधारित व्यावहारिक परीक्षण **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान — अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन) संसदीय राजभाषा समिति — सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो — सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	*1(2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु० + ग्रेड वेतन 1900 रु०	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
27 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण:** (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) । **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**अनिवार्य :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (iii) मोटर के कल पुर्जे का ज्ञान (अभ्यर्थियों को यानों की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए; (iv) मोटर कार चलाने के लिए कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** (i) होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों को अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा/भूतपूर्व सैनिकों में से पुनर्नियोजन जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	**प्रतिनियुक्ति:** ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और संसदीय राजभाषा समिति में वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 जमा ग्रेड वेतन 1800 रु. में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास मोटर कार चलाने का सक्षमता निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति हो जिसके न हो सकने पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने केंद्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय में वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 जमा ग्रेड वेतन रु. 1800 में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो स्तंभ 8 में यथावर्णित आवश्यक अर्हताएं पूरा करते हों। **भतूपूर्व सैनिकों के लिए:** प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्पात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान — अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन) संसदीय राजभाषा समिति — सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा॰ सं॰ 14034/25/2010-राभा (प्रशि.)]

सूरज भान, उप सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 310, तारीख 19 जून, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 3rd September, 2013

G.S.R. 222.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Department of Official Language (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1996 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in the combined cadre of Staff Car Drivers in the subordinate offices namely, the Central Hindi Training Institute, Central Translation Bureau and the Parliamentary Committee on Official Language under the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Combined Cadre of Staff Car Drivers in the Central Hindi Training Institute, Central Translation Bureau and Parliamentary Committee on Official Language Recruitment Rules 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and Grade pay or pay scale.—**The number of the said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. —** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No Person,—

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, The Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale
1	2	3	4
Staff Car Driver (Grade I)	02* (2013) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Civil Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200—20200 and Grade Pay of Rs. 2800

Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
5	6	7	8
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made

12

Promotion :

Staff Car Driver (Grade-II) with five years regular service in the grade failing which Staff Car Driver (Grade-II) with thirteen years combined regular service in the grades of Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade), who possess:—

(a) Trade test to be conducted for this purpose, the syllabus of which shall be as follows:—

(i) must be able to read English numerals and figures;

(ii) must have good knowledge of traffic regulations;

(iii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs;

(iv) must be able to change and correctly inflate tyres; and

(b) Practical test, based on (i) to (iv) above.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (i) Director, Central Hindi Training Institute : Chairman (ii) Administrative Officer, Central Hindi Training Institute : Member (iii) Under Secretary (Administration), Parliamentary Committee on Official Language : Member (iv) Administrative Officer, Central Translation Bureau. : Member	Not applicable.

1	2	3	4
Staff Car Driver (Grade II)	01* (2013) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Civil Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -1, Rs. 5200—20200 and Grade Pay of Rs. 2400

5	6	7	8
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	Not applicable	By Promotion

12

Promotion:

Staff Car Driver (Ordinary Grade) with eight years' regular service in the grade who possess:—

(a) Trade test to be conducted for this purpose, the syllabus of which shall be as follows:—

(i) must be able to read English numerals and figures;

(ii) must have good knowledge of traffic regulations;

(iii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs;

(iv) must be able to change and correctly inflate tyres; and

(b) Practical test, based on (i) to (iv) above.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : (i) Director, Central Hindi Training Institute : Chairman (ii) Administrative Officer, Central Hindi Training Institute : Member (iii) Under Secretary (Administration), Parliamentary Committee on Official Language : Member (iv) Administrative Officer, Central Translation Bureau. : Member	Not applicable.

1	2	3	4
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	01* (2013) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Civil Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 and Grade pay of Rs. 1900

5	6	7
Non-selection	Not applicable	Not exceeding 27 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.) **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Essential: (i) 10th standard pass from a recognized Board; (ii) Possession of a valid driving licence for motor cars; (iii) Knowledge of motor mechanism (The candidates should be able to remove minor defects in vehicle); (iv) Experience of driving a motor car for at least three years. **Desirable:** (i) Three year's service as Home Guard/Civil Defence volunteers. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case	Not applicable	Two years

8
of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

11	12
By direct recruitment/re-employment from amongst ex-servicemen failing which transfer on deputation.	**Deputation:** From amongst Group 'C' employees with three years regular service in the grade in the pay band-1, Rs. 5200—20200 and grade pay of Rs. 1800 of the Central Hindi Training Institute, Central Translation Bureau and Parliamentary Committee on Official Language who possess valid driving licence for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor car failing which Group 'C' employees with three years' regular service in the grade pay in the pay band-1, Rs. 5200—20200 and grade pay of Rs. 1800 in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column 8. For Ex-servicemen: deputation/re-employment The Armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserved within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for deputationist shall also be considered and such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1 :** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— (i) Director, Central Hindi Training Institute : Chairman (ii) Administrative Officer, Central Hindi Training Institute : Member (iii) Under Secretary (Administration), Parliamentary Committee on Official Language : Member (iv) Administrative Officer, Central Translation Bureau. : Member	Not applicaable.

[F. No. 14034/25/2010-OL(Trg.)]

SURAJ BHAN, Dy. Secy.

Foot Note: The Principal rules were published *vide* number G.S.R. 310, dated 19th June, 1996.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 223.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजभाषा विभाग उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक (केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध निम्न श्रेणी लिपिक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, हिन्दी शिक्षण योजना में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, हिन्दी शिक्षण योजना निम्न श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
निम्न श्रेणी लिपिक	*54 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1 5200—20200 रु॰ + ग्रेड वेतन 1900 रु॰	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण:** (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी, जो कर्मचारी चयन आयोग नियत करे।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
7	8	9
(I) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य; (II) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दाब प्रति घंटा 10500 कुंजी के तदनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 9000 कुंजी दाब प्रतिघंटा के अनुरूप 30 शब्द प्रति मिनट)	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
10	11
(I) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (II) 10 प्रतिशत रिक्तियां पे बैंड-1, रु॰ 5200—20,200 रुपये + ग्रेड पे 1800 रुपए वाले ऐसे कर्मचारिवृंद समूह 'ग' में से जिन्होंने 12वीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता उत्तीर्ण की है, उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी। परीक्षा हेतु पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) **टिप्पण:—** यदि खंड (I) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा में अर्हित हो जाते हैं, ऐसे अधिक संख्या में कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि किसी पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों को पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सकेगा। (III) रिक्तियों का 5 प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रुपए जमा ग्रेड पे 1800 रुपए में नियमित तीन वर्ष की सेवा है। ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। **टिप्पण 1—**जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2—**प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	जैसा कि स्तम्भ 10 में उल्लिखित है

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12		13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—		लागू नहीं होता।
केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र)		
1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान	— अध्यक्ष	
2. अवर सचिव, सचिव (राजभाषा) द्वारा नामित	— सदस्य	
3. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामित अधिकारी जो केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के उपनिदेशक से कम स्तर का न हो	—सदस्य	
4. उप-निदेशक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबद्ध) जो निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुख्यालय से नामित किया जाए	— सदस्य	
हिन्दी शिक्षण योजना (क्षेत्रीय कार्यालय मध्योत्तर क्षेत्र से बाहर)		
1. उप-निदेशक (संबद्ध)	— अध्यक्ष	
2. सहायक निदेशक, जो निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामित किया जाए	— सदस्य	
3. कोई अन्य अधिकारी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबद्ध) जो निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुख्यालय से नामित किया जाए	— सदस्य	

[फा॰ सं॰ 14034/67/2009-राभा (प्रशि.)]

सूरज भान, उप सचिव

पाद टिप्पण:— मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 37, तारीख 19 जनवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा॰का॰नि॰ 614 तारीख 05 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधन किए गए।

New Delhi, the 3rd September, 2013

G.S.R. 223.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Department of Official Language, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Central Hindi Training Institute/ Hindi Teaching Scheme), Recruitment Rules, 1990 in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and Grade pay or pay scale.—**The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay or Pay Scale
1	2	3	4
Lower Division Clerk	54*(2013) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1. Rs. 5200—20200 plus Grade pay Rs. 1900

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for Direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
5	6	7
Not applicable	Between 18 to 27 years of age (relaxable for Government servants upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) 12th Standard pass from a recognized Board or University or equivalent. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer. (35 words per minute and 30 word per minute corresponding to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word.)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10
Not applicable	Two years for direct recruits.	(i) 85 per cent by Direct Recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10 per cent of the vacancies shall be filled up from amongst the Group 'C' staff in the pay band—I; Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800 who possess 12th standard pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of a department qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes.) **Note:—** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examation are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled by promotion on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in the pay band-I, Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 1800. **Note 1.—** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2.—** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11
As stated in column 10

If a Department Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'C' Depatmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of:	Not applicable.

In Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme (North Central Region)

1.	Director, Central Hindi Training Institute	:	Chairman
2.	Under Secretary (to be nominated by the Secretary (Official Language) Department of Official Language)	:	Member
3.	An Officer to be nominated by Director, Central Hindi Training Institute Not below the rank of Deputy Director, Central Hindi Training Institute/Central Translation Bureau	:	Member
4.	Deputy Director (belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes) to be nominated by Director, Central Hindi Training Institute from CHTI Headquarters	:	Member

In Hindi Teaching Scheme (Regional Offices, outside North Central Region)

1.	Deputy Director (concerned)	:	Chairman
2.	Assistant Director in the region nominated by Director, Central Hindi Training Institute	:	Member
3.	Any other officer (belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes) to be nominated by Director, Central Hindi Training Institute from CHTI Headquarters	:	Member

[F. No. 14034/67/2009-OL(Trg.)]

SURAJ BHAN, Dy. Secy.

Foot Note : The Principal rules were published *vide* number G.S.R. 37, dated 19th January, 1991 and subsequently amendment *vide* number G.S.R. 614, dated 5th November, 2001.